उपाध्यक्ष

मा0 मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन के "नगरीय निर्बल वर्ग आवास" कार्यक्रम के अन्तर्गत 3150 भवनों के निर्माण का लक्ष्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को दिया गया है। लक्ष्य की पूर्ति के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा 1648 भवनों का निर्माण स्वर्णजयन्तीपुरम योजना एवं इन्द्रप्रस्थ योजना के अन्तर्गत पूर्ण किया जा चुका है तथा 792 भवनों का निर्माण कोयल एनक्लेव आवासीय योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया था परन्तु भू-धारकों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के कारण निर्माण की कार्यवाही आगे नहीं हो सकी है। लक्ष्य प्राप्ति के दृष्टिगत विभिन्न समीक्षा बैठकों में अन्य योजनाओं में भूमि चिन्हित कर दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के आवासों के निर्माण हेतु बारम्बार निर्देश एवं बल दिया जाता रहा है। तदक्रम में प्रताप विहार आवासीय योजना सैक्टर-11 के 'एच'-ब्लॉक में 348 दस मंजिलें दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के आवासीय भवनों के निर्माण का प्रस्ताव अभियंत्रण खण्ड-4 द्वारा तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग दर अनुसूची-2007 एवं डी0एस0आर0-2007 के आधार पर आगणन धनांक रु0 6,96,77,793.00 है। एक भवन का आच्छादित क्षेत्रफल 28.12 वर्गमीटर है तथा सर्कुलेशन एरिया सहित एक भवन का औसत क्षेत्रफल 35.69 वर्गमीटर है। भवन में दो कमरे, रसोई, शौचालय एवं स्नानघर का प्राविधान किया गया है। एक भवन की औसत निर्माण लागत रु0 2.00 लाख है। इन भवनों का निर्माण आर0सी0सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर के रूप में किया जायेगा तथा इसमें भूकम्परोधी तकनीक का समावेश भी किया गया है।

प्रस्तुत आगणन की जांच अवर अभियन्ता-तकनीकी एवं वैयक्तिक सहायक-तकनीकी द्वारा कर ली गयी है। अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त अधिशासी अभियन्ता-4 की संस्तुति एवं अवर अभियन्ता-तकनीकी तथा वैयक्तिक सहायक-तकनीकी की परीक्षण आख्या के क्रम में दाहिनी ओर संलग्न बिल्डिंग प्लान एवं ले-आउट प्लान की उपयुक्तता को देखते हुए 348 दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण हेतु गठित आगणन धनांक रु0 6,96,77,793.00 की स्वीकृति प्रदान करने तथा निविदा आमंत्रित कर कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

नियोजन विभाग के परीक्षण उपरान्त विचार किया जाना उचित होगा।
30/5/08

(जय सिंह)	(ए0के0 गुप्ता)	(एस0एस0 शुक्ला)	(एस0सी0 द्विवेदी)
अधिशासी अभियन्ता-1	अधिशासी अभियन्ता-2	अधिशासी अभियन्ता-3	अधिशासी अभियन्ता

(अनिल गर्ग)	(एस0के0 जमान)	(आर0के0 सैनी)
मुख्य अभियन्ता	मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक	सचिव

35% भू-आच्छादन एवं 2.00 F.A.R. के साथ अनुमन्य किये जाने पर विचारार्थ।

(एस0के0 जमान)
सी0ए0टी0पी0

ss
52